न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–29/2020

रामबडाई राम.....वादी

बनाम

मनीर अंसारी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

10.12.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.09.2021 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, व धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु दिनांक 05.06.2021 को हो गई है तथा वे अपने पीछे अपनी पत्नी 2 पुत्र, 2 पुत्रियों को अपने विधिक वारिसान के रूप में छोड़ गए हैं। यह कि कोरोना संक्रमण के कारण वादी की ओर से यह प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया जा सका। अतः मृत प्रतिवादी संख्या–1 का नाम वादपत्र से विलोपित कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए हैं। प्रस्तुत आवेदन वादी द्वारा विलंब से दाखिल किया गया है तथा विलंब को माफ करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत भी आवेदन दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तथा यदि प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध कोई उपसमन हुआ है तो उसे अपास्त किया जाता है। तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)